न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 164/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/243

1. सरजीत कौर पत्नी नक्षत्र सिंह जाति मजबी सिख निवासी चक 4 सीकेएम तहसील अनूपगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ़

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

प्र.सं. 167/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/246

1. हरीश
2. बग्गा
3. बलोर सिंह

पिसरान हरपाल कौर पिता मखन सिंह जाति मजबी सिख निवासी 4 सीकेएम तहसील अनूपगढ़

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ़

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

प्र.सं. 192/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/271

1. मेम्बर सिंह पुत्र अंग्रेज कौर
2. रानी पुत्री अंग्रेज कौर
3. शीलो पुत्री अंग्रेज कौर
4. बलविन्द्र कौर पुत्री गुरजंट सिंह पुत्र अंग्रेज कौर
5. गुरमीत सिंह पुत्र गुरजंट सिंह पुत्र अंग्रेज कौर
6. अमनदीप कौर पुत्री गुरजंट सिंह पुत्र अंग्रेज कौर

जाति मजबी सिख निवासी 4 सीकेएम तहसील अनूपगढ़

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ़

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :–

1. श्री हरीचन्द अरोड़ा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. तहसीलदार अनूपगढ़, अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 31/7/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. उपर्युक्त तीनों प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किये गये। पक्षकारान को तलब किया गया। उक्त तीनों प्रकरणों में प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरीचन्द अरोड़ा उपस्थित आए एवं अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया हैं तीनों प्रकरण एक ही प्रकृति के होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित किये जाने योग्य हैं। तीनों प्रकरणों की विषयवस्तु एवं एक ही प्रकृति के अनुतोष पर आधारित होने के कारण प्रकरणों का निर्णय एक साथ एक ही निर्णय से किया जा रहा हैं।
2. प्र.सं. 164/23 में प्रार्थीया जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी ने कृषि भूमि चक 4 केएसएम ए हाल चक 4 सीकेएम का मु.नं. 25 प.नं. 283/393 की 25 बीघा व मु.नं. 32 प.नं. 283/394 की 25 बीघा इस प्रकार 50

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

बीघा रकबा का 1/4 हिस्सा जैल सिंह से जरिए ईकरारनामा क्रय कर रखा हैं। प्रार्थीया ने अपने पक्ष में हुए अनुबंध के नियमन की कार्यवाही धारा 13ए राज. उप. अधि. के तहत की जिसके तहत प्रार्थीया के पक्ष में हुए अनुबंध को विधिमान्य घोषित करते हुए कृषि भूमि का पंजीकृत बैयनामा एवं खातेदारी सनद पेश होने के पश्चात भूमि का नामातंरण प्रार्थीया के नाम से दर्ज किए जाने की आज्ञा दी गयी। प्रार्थीया इस संन्दर्भ में निशचित हो गयी कि न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थीया द्वारा क्रयशुदा भूमि के लिए इस भूमि के मौलिक खातेदार मुंशी सिंह, जैला सिंह, निलु सिंह पि. ढोला सिंह रिकार्ड में खातेदार दर्ज कर दिया होगा। प्रार्थीया ने वर्तमान जमाबंदी की प्रति प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि भूमि रिकार्ड में रकबा राज दर्ज चली आ रही हैं। जबकि धारा 13ए राज.उप.अधि. के प्रावधानों के तहत भूमि के मूल खातेदार को रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। कृषि भूमि चक 4 केएसएम ए हाल चक 4 सीकेएम का मु.नं. 25 प.नं. 283/393 की 25 बीघा व मु.नं. 32 प.नं. 283/394 की 25 बीघा इस प्रकार 50 बीघा भूमि मूल आवंटी को खातेदार दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारा 13ए राज.उप.अधि. के प्रावधानों में खातेदारी देने का कोई प्रावधान नहीं होकर बिना स्वीकृति के बेचान को विधि मान्य करने का प्रावधान हैं। चक 4 केएसएम प.नं. 283/393 की 6.325है. व प.नं. 284/393 का 2.530है. भूमि सहायक उपनिवेशन घड़साना मुकाम अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 14.06.1985 के द्वारा भूमि रकबा राज दर्ज की गयी हैं। इस आदेश का सक्षम स्तर पर निरस्त करके प्रार्थीगण के रकबा को बहाल नहीं किया गया हैं। साथ भूमि की किस्तों की राशि भी जमा नहीं करवाई। प्रार्थीगण ने तथ्य को रिकार्ड पर लिए बिना ही पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व आवंटी द्वारा किये गये इकरारनामा को धारा 13ए के तहत फीस भरवाकर विधि मान्य करने के आदेश मा. न्यायालय से प्राप्त कर लिया। इस आदेश की पालना के लिए प्रार्थीगण को भूमि की बकाया राशि जमा करवाकर नियमानुसार खातेदारी प्राप्त करके बैयनामा पंजीकृत करवाना चाहिए था। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी जिम्मेवारी के तहत सक्षम अधिकारी से रकबा बहाल करवाकर बकाया राशि जमा नहीं करवाकर पूर्व आदेशों की अवहेलना करने पर किसी प्रकार से राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. प्र.सं. 167/23 में प्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण ने कृषि भूमि चक 4 केएसएम ए हाल चक 4 सीकेएम का मु.नं. 25 प.नं. 283/393 की 25 बीघा व मु.नं. 32 प.नं. 283/394 की 25 बीघा इस प्रकार 50 बीघा रकबा का 1/4 हिस्सा मुंशी सिंह से जरिए ईकरारनामा क्रय कर रखा हैं। प्रार्थीगण ने अपने पक्ष में हुए अनुबंध के नियमन की कार्यवाही धारा 13ए राज. उप. अधि. के तहत की जिसके तहत प्रार्थीगण के पक्ष में हुए अनुबंध को विधिमान्य घोषित करते हुए कृषि भूमि का पंजीकृत बैयनामा एवं खातेदारी सनद पेश होने के पश्चात भूमि का नामातंरण प्रार्थीगण के नाम से दर्ज किए जाने की आज्ञा दी गयी। प्रार्थीगण इस संन्दर्भ में निशचित हो गये कि न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थीगण द्वारा क्रयशुदा भूमि के लिए इस भूमि के मौलिक खातेदार मुंशी सिंह, जैला सिंह, निलु सिंह पि. ढोला सिंह रिकार्ड में खातेदार दर्ज कर दिया होगा। प्रार्थीगण ने वर्तमान जमाबंदी की प्रति प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि भूमि रिकार्ड में रकबा राज दर्ज चली आ रही हैं। जबकि धारा 13ए राज.उप.अधि. के प्रावधानों के तहत भूमि के मूल खातेदार को रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। कृषि भूमि चक 4 केएसएम ए हाल चक 4 सीकेएम का मु.नं. 25 प.नं. 283/393 की 25 बीघा व मु.नं. 32 प.नं. 283/394 की 25 बीघा इस प्रकार 50 बीघा भूमि मूल आवंटी को खातेदार दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारा 13ए राज.उप.अधि. के प्रावधानों में खातेदारी देने का कोई प्रावधान नहीं होकर बिना स्वीकृति के बेचान को विधि मान्य करने का प्रावधान हैं। चक 4 केएसएम प.नं. 283/393 की 6.325है. व प.नं. 284/393 का 2.530है. भूमि सहायक उपनिवेशन घड़साना मुकाम अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 14.06.1985 के द्वारा भूमि रकबा राज दर्ज की गयी हैं। इस आदेश का सक्षम स्तर पर निरस्त करके प्रार्थीगण के रकबा को बहाल नहीं किया गया हैं। साथ भूमि की किस्तों की राशि भी जमा नहीं करवाई। प्रार्थीगण ने तथ्य को रिकार्ड पर लिए बिना ही पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

आवंटी द्वारा किये गये इकरारनामा को धारा 13ए के तहत फीस भरवाकर विधि मान्य करने के आदेश मा. न्यायालय से प्राप्त कर लिया। इस आदेश की पालना के लिए प्रार्थीगण को भूमि की बकाया राशि जमा करवाकर नियमानुसार खातेदारी प्राप्त करके बैयनामा पंजीकृत करवाना चाहिए था। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी जिम्मेवारी के तहत सक्षम अधिकारी से रकबा बहाल करवाकर बकाया राशि जमा नहीं करवाकर पूर्व आदेशों की अवहेलना करने पर किसी प्रकार से राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. प्र.सं. 192/23 में प्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की माता अंग्रेज कौर ने कृषि भूमि चक 4 केएसएम ए हाल चक 4 सीकेएम का मु.नं. 25 प.नं. 283/393 की 25 बीघा व मु.नं. 32 प.नं. 283/394 की 25 बीघा इस प्रकार 50 बीघा रकबा का 1/4 हिस्सा निलु सिंह से जरिए ईकरारनामा क्रय कर रखा हैं। प्रार्थीगण की माता अंग्रेज कौर ने अपने पक्ष में हुए अनुबंध के नियमन की कार्यवाही धारा 13ए राज. उप. अधि. के तहत की जिसके तहत प्रार्थीगण के पक्ष में हुए अनुबंध को विधिमान्य घोषित करते हुए कृषि भूमि का पंजीकृत बैयनामा एवं खातेदारी सनद पेश होने के पश्चात भूमि का नामातंरण प्रार्थीगण की माता के नाम से दर्ज किए जाने की आज्ञा दी गयी। प्रार्थीगण की माता इस संन्दर्भ में निश्चित हो गये कि न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थीगण द्वारा क्रयशुदा भूमि के लिए इस भूमि के मौलिक खातेदार मुंशी सिंह, जैला सिंह, निलु सिंह पि. ढोला सिंह रिकार्ड में खातेदार दर्ज कर दिया होगा। प्रार्थीगण की माता का देहान्त दिनांक 08.10.2002 को हो गया तथा भूमि प्रार्थीगण के कब्जा कश्त के आ गयी। प्रार्थीगण ने वर्तमान जमाबंदी की प्रति प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि भूमि रिकार्ड में रकबा राज दर्ज चली आ रही हैं। जबकि धारा 13ए राज.उप. अधि. के प्रावधानों के तहत भूमि के मूल खातेदार को रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। कृषि भूमि चक 4 केएसएम ए हाल चक 4 सीकेएम का मु.नं. 25 प.नं. 283/393 की 25 बीघा व मु.नं. 32 प.नं. 283/394 की 25 बीघा इस प्रकार 50 बीघा भूमि मूल आवंटी को खातेदार दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारा 13ए राज.उप.अधि. के प्रावधानों में खातेदारी देने का कोई प्रावधान नहीं होकर बिना स्वीकृति के बेचान को विधि मान्य करने का प्रावधान हैं। चक 4 केएसएम प.नं. 283/393 की 6.325है. व प.नं. 284/393 का 2.530है. भूमि सहायक उपनिवेशन घड़साना मुकाम अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 14.06.1985 के द्वारा भूमि रकबा राज दर्ज की गयी हैं। इस आदेश का सक्षम स्तर पर निरस्त करके प्रार्थीगण के रकबा को बहाल नहीं किया गया हैं। साथ भूमि की किस्तों की राशि भी जमा नहीं करवाई। प्रार्थीगण ने तथ्य को रिकार्ड पर लिए बिना ही पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व आवंटी द्वारा किये गये इकरारनामा को धारा 13ए के तहत फीस भरवाकर विधि मान्य करने के आदेश मा. न्यायालय से प्राप्त कर लिया। इस आदेश की पालना के लिए प्रार्थीगण को भूमि की बकाया राशि जमा करवाकर नियमानुसार खातेदारी प्राप्त करके बैयनामा पंजीकृत करवाना चाहिए था। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी जिम्मेवारी के तहत सक्षम अधिकारी से रकबा बहाल करवाकर बकाया राशि जमा नहीं करवाकर पूर्व आदेशों की अवहेलना करने पर किसी प्रकार से राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

5. अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया हैं कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 13ए राज. उप.अधि. के तहत जरिए ईकरारनामा खरीदशुदा भूमि का नियमन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2005 को आदेश द्वारा भूमि का नियमन कर दिया। आदेश की अंतिम लाईन में अंकित किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा पंजीकृत बैयनामा एंव खातेदारी सनद प्रस्तुत करने पर उनका नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे। धारा 13 के तहतत सर्व प्रथम विक्रेता के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश देने आवश्यक हैं तत्पश्चात बैयनामा के आधार पर नामान्तरण करवाने के अधिकारी हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण न्यायालय का ध्यान धारा 6ए(6) राज.उप.अधि. की ओर आकर्षित किया। सर्वप्रथम विक्रेता को ही खातेदार दर्ज किया जावेगा तथा विक्रेता के खातेदार दर्ज होने के पश्चात क्रेता

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद विक्रेता के विरूद्ध लाने का अधिकारी होगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में भूमि के मूल आवंटी विक्रेता को खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों की प्रतियां प्रस्तुत की –

2023(2) आरआरटी पृष्ठ सं. 772
2009(1)आरआरडी पृष्ठ सं. 21
2008(2) आरआरडी पृष्ठ सं. 1125

6. अप्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि चक 4 केएसएम प.नं. 283/393 की 6.325है. व प.नं. 284/393 का 2.530है. भूमि सहायक उपनिवेशन आयुक्त घड़साना मुकाम अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 14.06.1985 के द्वारा रकबा राज दर्ज की गयी हैं। इस आदेश का सक्षम स्तर पर निरस्त करके प्रार्थीगण के रकबा को बहाल नहीं किया गया हैं। साथ भूमि की किस्तों की राशि भी जमा नहीं करवाई गयी हैं। प्रार्थीगण ने समस्त तथ्य को पूर्ववर्ती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए बिना ही पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व आवंटी द्वारा किये गये इकरारनामा को धारा 13ए के तहत फीस भरवाकर विधि मान्य करने के आदेश मा. न्यायालय से प्राप्त कर लिया। पूर्व में न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.02.2005 के द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार कर अन्तरण विधिमान्य घोषित किया कि प्रार्थी द्वारा पंजीकृत बैयनामा एवं खातेदारी सनद पेश करने पर उसके नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। अब प्रार्थीगण उक्त आदेश परिवर्तित करवाकर भूमि को मूल आवंटी के नाम से खातेदार दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया हैं। जबकि खातेदारी प्रदान किये जाने संबंधि कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी हैं। खातेदारी सनद जारी होने के उपरान्त ही रिकार्ड में भूमि रकबा राज दर्ज की जा सकती हैं। भूमि रिकार्ड अनुसार रकबा राज दर्ज हैं। भूमि के रकबा रार्ज दर्जे किए जाने के आदेश सक्षम स्तर से निरस्त नहीं हुए हैं। प्रार्थीगण अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान अध्ययन किया। प्रकरण सं. 164/23, 167/23 व 192/23 में प्राप्त मूल प्रकरण अन्तर्गत धारा 13ए राज.उप.अधि. पत्रावलियों का अवलोकन किया। उपर्युक्त प्रकरणों में प्रार्थीगण द्वारा पूर्ववर्ती न्यायालय के समक्ष धारा 13ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत इस अनुतोष के आधार पर आवेदन किया कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाकर कृषि भूमि का नियमन प्रार्थी के पक्ष में करने की आज्ञा दी जावे, इस पर अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा प्रकरणों में दिनांक 25.02.2005 को आदेश पारित किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में जरिए इकरारनामा किया गया बेचान राज.उप. अधि. की धारा 13क(1क) के अन्तर्गत इस शर्त पर विधिमान्य घोषित किया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा पंजीकृत बैयनामा एवं खातेदारी सनद पेश करने पर उसके नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

8. हस्तगत प्रकरणों में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया हैं कि प्रश्नगत भूमि के मूल आवंटी के नाम से भूमि रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे। खातेदार अधिकार प्रदान किया जाने की कार्यवाही भूमि के संबंध में समस्त बकाया राशि जमा होने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पादित की जाती हैं, जिस हेतु उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए थी। पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र सर्शत स्वीकार किये गये हैं कि भूमि की खातेदारी सनद व पंजीकृत बैयनामा पेश करने पर भूमि प्रार्थीगण के नाम से दर्ज की जावे।

9. पूर्ववर्ती न्यायालय का आदेश दिनांक 25.02.2005 का हैं, जबकि हस्तगत प्रकरण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.11.2022 को प्रस्तुत किये गये हैं। प्रकरणों में निर्णय पारित होने के 17 वर्ष से भी अधिक अवधि के पश्चात हस्तगत प्रार्थना पत्रों को प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण को चाहिए था कि यदि वे पूर्ववर्ती न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय से संतुष्ट नहीं थे तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करते अन्यथा निर्णय की पालना में खातेदारी सनद एवं पंजीकृत बैयनामा तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करते। यदि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिये जाते हैं तो पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2005 को पारित सशर्त निर्णय में अन्तर्निहित मूल सार ही परिवर्तित हो जाएगा। अतः प्रकरणों में पारित

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

निर्णय दिनांक 25.02.2005 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना समीचीन नहीं हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य हैं।

10. लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर तीनों प्रार्थना पत्र 164/23, 167/23 व 192/23 अस्वीकार किए जाते हैं। निर्णय प्रति प्र.सं. 164/23 में शामिल की जावे तथा पत्रावली सं. 167/23 व 192/23 को पत्रावली सं. 164/23 के साथ संलग्न किया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31/07/2025. **को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़